

कार्यालय - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

॥ आदेश ॥

क्रमांक / 368 /A/दो-11-12/06

बड़वानी, दिनांक ०४ /11/2024

प्रशासकीय कार्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुवे इस स्थापना पर पदस्थ निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण का अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक निम्नानुसार स्थानांतरण किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पद एवं पदस्थापना	स्थानांतरण पश्चात् पद एवं पदस्थापना	रिमार्क
01	श्री महेश चौहान सहायक ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड अंजड (श्री नीरज कुमार सोनी)	साक्ष्य लेखक अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड रांजपुर (श्रीमती राधिका गर्ग)	श्री फारूख शेख के स्थान पर
02	श्री फारूख शेख सहायक ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड रांजपुर (श्रीमती राधिका गर्ग)	साक्ष्य लेखक अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड अंजड (श्री नीरज कुमार सोनी)	श्री महेश चौहान के स्थान पर

नोट :- (1) उक्त कर्मचारीगण का स्थानांतरण उनके द्वारा आपसी सहमति के आधार पर स्वयं के व्यय पर किया जा रहा है, अतः उन्हें किसी प्रकार के पदग्रहणकाल / यात्रा स्वत्व प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(महेन्द्र कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बड़वानी म.प्र.

पृ.क्रमांक/ 2922 /A/दो-11-12/06

बड़वानी, दिनांक ०४ /11/2024

प्रतिलिपि :- आदेशानुसार ।

- (1) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड / राजपुर ।
- (2) लेखापाल / वेतन लिपिक, जिला न्यायालय बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (3) संबंधित कर्मचारी श्री.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्या.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बड़वानी म.प्र.